राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 764वी बैठक दिनांक 29.12.2022 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 764वी बैठक दिनांक 29.12.2022 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम उपस्थित थे :–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री मुजीबुर्रहमान खान, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
A. SEAC द्वारा अनुशंसित प्रकरण					
1.	**जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट कटनी (अन्य गौण खनिज रेत को छोड़कर)**			SEAC द्वारा अनुशंसित नहीं	स्पष्टीकरण
2.	9262/2022	5(f)	Manufacturing of API & Pharmaceutical Intermediates	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
3.	7548/2020	1(a)	लाईमस्टोन खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण
4.	9135/2022	5(f)	Bulk Drugs & API production	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
5.	8566/2021	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
6.	9439/2022	1(a)	डोलोमाईट खदान	For ToR	स्वीकृत
7.	9448/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
8.	9454/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
9.	9377/2022	1(a)	मुरूम खदान	For ToR	स्वीकृत
10.	9363/2022	5(f)	Manufacturing of Metallic Steartes & Intermediate	For ToR	स्वीकृत
11.	9404/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
12.	9409/2022	1(a)	फर्शी पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति अनुशंसित नहीं	Delisted
13.	6727/2020	5(j)	Sugar Industry	For Delist	Delisted
14.	6663/2019	1(a)	डोलोमाईट खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण
15.	8931/2022	1(a)	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
16.	8852/2021	1(a)	बॉक्साईट एवं फायर क्ले खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
17.	8650/2021	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
18.	9460/2022	1(a)	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
19.	9455/2022	1(a)	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

20.	9457/2022	1(a)	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
21.	9458/2022	1(a)	डोलोमाईट खदान	For ToR	स्वीकृत
22.	9461/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में संशोधन	निरस्त
23.	9381/2022	3(a)	Billets and TMT Bar	For ToR	स्वीकृत
24.	9384/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
25.	8817/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
B. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा					
26.	9024/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में संशोधन	संशोधन अमान्य
C. नीतिगत निर्णय					

1. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, कटनी (अन्य गौण खनिज रेत को छोड़कर)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 611वीं बैठक दिनांक 14/12/2022 में कटनी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है :

"................. प्राप्त संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, कटनी की तालिका क्र0. 9–बी के अन्तर्गत पेज न0. 30 से 60 मे गौण खनिजों की खदानों की जो जानकारी प्रस्तुत की गयी है, उसमें कहीं–कहीं खदानों के मात्र 01 को–आर्डीनेट को ही दर्शाया गया है एंव किसी–किसी खदान के तो एक भी को–आर्डीनेट नही दर्शाये है (जैसे सरल क्र0. 42, 44 एंव 47–73 आदि)। अतः समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि संबंधित खनिज अधिकारी उपरोक्त जानकारी का शीघ्र–अतिशीघ्र समावेश कर संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पुनः प्रस्तुत करें।"

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEAC की 611वीं बैठक दिनांक 14/12/2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि जिला कलेक्टर कटनी को सूचित किया जाये कि SEAC द्वारा सुझाई की उपरोक्त अनुशंसाओं को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अद्यतन किया जाकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट में संशोधित एवं अद्यतन वांछित जानकारी सीधे ही SEAC को प्रेषित करते हुए SEIAA को भी प्रति प्रस्तुत करें। तदानुसार संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये। प्राधिकरण ने वांछित जानकारी प्रस्तुत करने पर हो रहे विलम्ब पर अप्रसन्नता व्यक्त की।

2. Case No 9262/2022: Prior Environment Clearance for Manufacturing of API & Pharmaceutical Intermediates Product at Plot No. 67 & 89, DMIC Vikram Udyogpuri Ltd, Village - Narwar, Dist. Ujjain. M.P.[Production Capacity - 1260 Tonnes per Annum Bulk Drugs/Active Pharmaceutical Ingredients (Steroids/Hormones/General Drugs like Vitamins, Antibiotics, Antifungal, Antiviral, Antiparasitic etc.) / Drug Intermediates/Chemicals/Fine Chemicals] by M/s Symbiotec Lifesciences Pvt. Ltd, 385/2, Pigdamber, Rau, Dist. Indore, MP – 453331 Env. Consultant Creative Enviro Services, Bhopal (M.P.)

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 764वी बैठक दिनांक 29.12.2022 का कार्यवाही विवरण

1. यह प्रकरण डीएमआईसी, विक्रम उद्योगपुरी, जिला उज्जैन (एमपी) में प्लॉट नंबर 67& 89 पर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रेडिएन्ट्स और एपीआई इन्टरमिडियेट्स के प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 1260 TPA (Bulk Drugs/ Active Pharmaceutical Ingredients (Steroids/ Hormones/ General Drugs like Vitamins, Antibiotics, Antifungal, Antiviral, Antiparasitic etc.) / Drug Intermediates/Chemicals/Fine Chemicals) उत्पादन के लिए पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है ।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा डीएमआईसी, विक्रम उद्योगपुरी जिले में प्लॉट नंबर 67 और 89 पर 125816 sq-m की भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

3. परियोजना में मुख्या रूप से बॉयलर, एमईई, रिएक्टर, कूलिंग टावर, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) और आरओ प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। योजना/आवश्यकता के अनुसार प्रशासनिक कार्यालय, पार्किंग एवं ग्रीनबेल्ट/वृक्षारोपण जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। उपचारित जल का उपयोग कूलिंग टावरों, फर्श की धुलाई और बागवानी/हरित पट्टी के लिए किया जाएगा।

4. प्रकरण को एसईएसी की 586 वीं बैठक दिनांक 21.07.22 को ToR हेतु अनुशंसा की गई थी जिसे SEIAA की 739वीं बैठक दिनांक 29.07.22 में मान्य करते हुए पत्र क्रमांक 1340–41, दिनांक 04.08.22 के माध्यम से ToR जारी किया गया था।

5. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है:–

S.N.	Component	Details
1	Name	Symbiotec Lifesciences Private Limited.,
2	Location	Plot No. 67 & 89, DMIC Vikram Udyogpuri Limited, Village: Narwar, Tahsil&Dist- Ujjain -Madhya Pradesh – 456664.
3	Product type	Pharmaceuticals (APIS): Bulk Drugs/Active Pharmaceutical Ingredients (Steroids/Hormones/General Drugs like Vitamins, Antibiotics, Antifungal, Antiviral, Antiparasitic etc.) / Drug Intermediates/Chemicals/Fine Chemicals
4	Area Details in Sq Meter	
i	Total Plot Area	125816.00
ii	Built up Area	69635 (55.35 %)
iii	Green belt and Other area	44100 (35.05%) + 12081 (9.60 %)
5	Production Details	
i	Production Capacity	1260.00 MTPA
6	Budgetary Allocation	
i	Project C0st (In lakhs)	56364.00
ii	EMP Cast	
	Capital cost (In lakhs)	1899.00 (3.37%)
	Annual recurring cost (In lakhs)	176.25
iii	CER Activities (In lakhs)	115.00

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

7	Water Requirement	प्रस्तावित परियोजना के लिए कुल पानी की आवश्यकता 1520 केएलडी एवं पुनर्चक्रण के बाद 3156 केएलडी होगी, शुद्ध ताजे पानी की आवश्यकता 1636 केएलडी होगी। पानी की आवश्यकता डीएमआईसी द्वारा पूर्ति की जाएगी ।
8	Waste water management	घरेलू स्रोत से कुल अपशिष्ट जल उत्पादन 100 केएलडी होगा और औद्योगिक अपशिष्ट जल उत्पादन 1971 केएलडी होगा। प्रोसेस एफ्लुएंट को कंसन्ट्रेटेड एफ्लुएंट स्ट्रीम 150 केएलडी और सामान्य एफ्लुएंट स्ट्रीम 1821 केएलडी में अलग किया जाएगा।
9	Solid waste management	उत्पादन प्रक्रिया और अपशिष्ट जल उपचार प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ठोस अपशिष्ट मुख्य रूप से sludge है जिसका का निष्पादन अपशिष्ट (Management & Trans boundary Movement) नियम, 2008 (संशोधन 2016) के अनुसार अधिकृत TSDF सुविधा के द्वारा किया जाएगा। यूनिट के खतरनाक अपशिष्ट का निष्पादन अपशिष्ट (प्रबंधन, हैंडलिंग और ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट), नियमों के तहत किया जायेगा ।
10	Power Requirement	परियोजना हेतु बिजली की कुल आवश्यकता 20 मेगावाट होगी' जिसे मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी' की मौजूदा लाइन से प्राप्त की जाएगी। बिजली की विफलता के मामले में, डी.जी. 5000 केवीए X 4 का बैकअप पावर का स्रोत के रूप में उपयोग किया जाएगा।
11	**Odor Control/ Mitigation Measures**	• गंध को दूर करने के लि, Wet scrubbing system रखा जाएगा जिसमें या तो एक उपयुक्त विलायक में अवशोषण या एक उपयुक्त अभिकर्मक के साथ रासायनिक उपचार शामिल है। • अवशोषण प्रणाली/स्क्रबर से पहले डबल कंडेनसर सिस्टम का provision किया जायेगा जो आमतौर पर vapour stream को ठंडा और condense करने के लिए पानी या हवा का उपयोग करता है। • सभी उपकरणों को बेहतर हाउसकीपिंग के लिए नियमित रूप से स्टीम किया जायेगा। • bacterial contamination को नियंत्रित करने के लिए इफेक्टिव बायोसाइड्स का उपयोग किया`गा । तापमान का नियंत्रण सड़ने वाले सूक्ष्म जीवों के उत्पादन से बचने के लिए नालियों में ब्लीचिंग पाउडर का नियमित उपयोग किया जायेगा । • A Closed operation of the process should be practiced effectively .

6. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 611 वीं दिनांक 14.12.2022 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया, उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 01 **से** 10 तक अंकित है।

उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रकरण को राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की बैठक में विचारार्थ रखा गया। प्रकरण में चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

(i) परियोजना में उत्सर्जित खतरनाक अपशिष्टों का प्रबंधन पर विशेष व्यवस्थाओं पर ध्यान रखा जाये। उत्सर्जित खतरनाक अपशिष्ठों का लेखा रखा जाये एवं उनका निष्पादन कैसे हुआ का भी विवरण का रिकार्ड रखें। यह सतत् प्रक्रिया हो जिससे प्रतिदिन संधारित किये जाये एवं उनका विवरण मं.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अर्ध वार्षिक आधार पर भेजा जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(ii) परियोजना में उत्सर्जित अपशिष्ट जैसे Spent HCL, H_2SO_4एवं Bromine को अधिकृत रिसाइकलरों को बेचा जाये।

(iii) खतरनाक रसायनों, गैसों के प्रबंधन पर समुचित ध्यान रखा जाये एवं आपदा से निपटने के लिये समय—समय पर माकड्रिल आयोजित की जाये।

(iv) परियोजना में ZLD की शर्त अनिवार्य रूप से अधिरोपित है, परियोजना अंतर्गत उच्च्य COD वाले जल अपशिष्ट के MEE एवं ATFD द्वारा उपचारित किया जायेगा एवं निष्पादन हेतु भेजा जायेगा। निम्न COD वाले जल अपशिष्ट का उपचार ETP से उपचारित कर पुर्न उपयोग किया जायेगा।

(v) परियोजना अंतर्गत उत्सर्जित अनुपयोगी (waste heat) उष्मा का समुचित प्रबंधन कर पुर्नउपयोग किया जाये।

(vi) ईकाई से निकलने वाली दुर्गन्ध के शमन के लिये Guidelines on Odour Pollution & Its Control, May 2008, Central Pollution Board, Ministry of Environment Govt. of India के सुझाये उपायों के अनुकूल व्यवस्था की जाये।

a. दुर्गन्ध उत्पन्न करने वाले घटकों को चिहिन्त कर उनके लिये पर्याप्त बफर जोन रखा जाये। ETP के आस पास भूदृश्यीकरण कर उसे सुसज्जित करे साथ ही सुगंध उत्पन्न करने वाले पौधों /झाड़ियों का रोपण इस क्षेत्र में करे।

b. दुर्गन्ध वाले क्षेत्रों की सीमा रेखा पर नोजल स्प्रेयर एवं एटलाइजर का निरंतर छिड़काव की व्यवस्था की जाये।

c. उपाय जैसे मिस्ट फिल्टरेथन, वेट स्क्रबिंग, केमिकल उपचार एवं ग्रीन बेल्ट जैसे अन्य उपायों से दुर्गन्ध शमन पर प्रभावी कदम उढ़ाये जाये।

(vii) परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये गैर पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO_2 उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर लक्ष्य प्राप्ति हेतु सतत् प्रयत्न अनिवार्य रूप से किया जाये।

(viii) सघन हरित क्षेत्र (33% से कम नहीं) साइट के चारों ओर विशेष रूप से प्रमुख हवा की दिशा में विकसित किया जाना चाहिए। इकाई को प्रदुषण नियंत्रण के दृष्टिगत प्रभावी लैंडस्केपिंग की योजना बनाकर उसका परिपालन किया जाना सुनिश्चित करे।

(ix) Effluent को त्रिस्तरीय उपचार प्रणाली तक उपचारित करने के लिए प्रस्तावनानुसार ETP अनिवार्य रूप से नियोजन किया जाये ।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 611वीं दिनांक 07 अक्टूबर 2022 की कार्यवाही

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

विवरण, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों के साथ उपरोक्त बिंदु i से ix एवं परिशिष्ट–3 को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. **प्रकरण क्र 7548/2020 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सतगुरू सीमेंट प्रा.लि. निवासी 601/1, एरिन हाईट्स, स्कीम नं. 54, पी.यू. 3, सी–21, मॉल के सामने, ए.बी. रोड़, जिला इंदौर (म.प्र.) द्वारा लाईमस्टोन खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,06,207, टन प्रतिवर्ष, रकबा 4.028 हेक्टेयर, खसरा 181/6, 188, 191, ग्राम बड़िया, तहसील गंधवानी, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 611वी बैठक दिनांक 14.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं परीक्षण उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

> उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार ***"प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि स्वीकृत आवंटित खनन् क्षेत्र में 10 पेड़ लगे है, जिसें सक्षम प्राधिकारी की अनुमति उपरांत काटे जायेंगे एवं उसके एवज् में 100 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे।*** .

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (कम से कम 04 फिट उंचाई तक के पौधों का रोपण) के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्त्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये। तत्पश्चात् प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

4. **Case No 9135/2022:** Prior Environment Clearance for Bulk Drugs & API Production having capacity of 200 TPA at Khasra No. 298/2, 298/3/2 at Village - Barla, Tehsil Sanchi, Dist. Raisen, (MP) by M/s. Headway Life Sciences Pvt. Ltd, E-3/185, Arera Colony, Dist. Bhopal, MP - 46201 - **EC**

   1. यह प्रकरण खसरा नंबर 298/2, 298/3/2 गांव – बरला, तहसील - साँची और जिला – रायसेन, (मप्र) में 200 टीपीए की क्षमता वाले बल्क ड्रग्स और एपीआई उत्पादन हेतु पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है। उक्त परियोजना Medium Scale Manufacturing Facility की है।

   2. यह परियोजना 28510 sq-m भूमि के एक भूखंड क्षेत्र में है जो कि M/s. Headway Life Sciences Pvt. Ltd के अधिग्रहण में है ।

   3. परियोजना में मुख्या रूप से बॉयलर, एमईई, रिएक्टर, कूलिंग टावर, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) और आरओ प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। योजना/आवश्यकता के अनुसार प्रशासनिक कार्यालय, पार्किंग एवं ग्रीनबेल्ट/वृक्षारोपण जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

उपचारित जल का उपयोग कूलिंग टावरों, फर्श की धुलाई और बागवानी/हरित पट्टी के लिए किया जाएगा।

4. प्रकरण को एसईएसी की 569 वीं बैठक दिनांक 06.05.22 को टीओआर हेतु अनुशंसा की गई थी जिसे SEIAA की 726वीं बैठक दिनांक 25.05.22 में मान्य करते हुए पत्र क्रमांक 670.71, दिनांक 24.05.22 के माध्यम से ToR जारी किया गया था।

5. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है:—

S.N.	Component	Details	
1	Name	M/s. Headway Life Sciences Private Limited	
2	Location	Khasra no. 298/2/2, 298/3/2, village–Barla District – Raisen, Madhya Pradesh 464551	
3	Product type	Basic Bulk Drug, Drug Intermediates and Fine Chemicals.	
4	Category of Project	B1- MSME	
5	Area Details in Sq Meter		
i	Total Plot Area	28510 m^2	
iii	Green belt Area	9500 sqm (Approx. 33 % land area is allocated for green belt)	
6	Production Capacity	Production Capacity of API & Pharmaceutical Intermediates, proposed (API & Pharmaceutical/ Drug Intermediates) and related products with production capacity of 200 TPA	
7	Budgetary Allocation		
i	Project Cost	2,591.39 Lakhs	
ii	EMP Cost		
	Capital cost	456 Lacs	for EMS viz. ETP, MEE, APCM etc
	Annual recurring cost	159 Lacs	for EMS - O&M and monitoring etc
8	Total Power Requirement	500 KW Source:- MPSEB	
9	Fuel Requirement		
i	Agro Waste for Boilers (1 TPH)	Agro Briquette (0.9 TPD) or steam coal 0.8 TPD	
ii	HSD for DG Set	DG set 500 KVA & fuel for DG set is HSD 45 Ltr/hr.	
10	Total Water Requirement	प्रस्तावित परियोजना के लिए कुल पानी की आवश्यकता 45 केएलडी एवं पुनर्चक्रण के बाद 21.5 केएलडी होगी, शुद्ध ताजे पानी की आवश्यकता केएलडी होगी। पानी की आवश्यकता द्वारा पूर्ति की जाएगी । भू जल से की जाएगी इसके लिए परियोजना प्रस्तावक द्वारा CGWA से NOC प्राप्त की गई है ।	
11	Effluent Details	घरेलू स्रोत से कुल अपशिष्ट जल उत्पादन 0.5 केएलडी होगा और औद्योगिक अपशिष्ट जल उत्पादन 25 केएलडी होगा। प्रोसेस एफ्लुएंट को कंसन्ट्रेटेड एफ्लुएंट स्ट्रीम 6.5 केएलडी और सामान्य एफ्लुएंट स्ट्रीम 19.0 केएलडी में अलग किया जाएगा।	
12	Domestic Effluent	उत्पादन प्रक्रिया और अपशिष्ट जल उपचार प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ठोस अपशिष्ट मुख्य रूप से sludge है जिसका का निष्पादन अपशिष्ट (Management & Trans boundary Movement) नियम, 2008 (संशोधन 2016) के अनुसार अधिकृत TSDF सुविधा के द्वारा किया जाएगा। यूनिट के खतरनाक अपशिष्ट का निष्पादन अपशिष्ट (प्रबंधन, हैंडलिंग और ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट), नियमों के तहत किया जायेगा ।	
13	**Odor Control/ Mitigation Measures**	• गंध को दूर करने के लि, Wet scrubbing system रखा जाएगा जिसमें या तो एक उपयुक्त विलायक में अवशोषण या एक उपयुक्त अभिकर्मक के साथ रासायनिक उपचार शामिल है। • अवशोषण प्रणाली/स्क्रबर से पहले डबल कंडेनसर सिस्टम का provision किया जायेगा जो आमतौर पर vapour stream को ठंडा और	

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

		condense करने के लिए पानी या हवा का उपयोग करता है। • सभी उपकरणों को बेहतर हाउसकीपिंग के लिए नियमित रूप से स्टीम किया जायेगा। • bacterial contamination को नियंत्रित करने के लिए इफेक्टिव बायोसाइड्स का उपयोग किया `गा । तापमान का नियंत्रण सड़ने वाले सूक्ष्म जीवों के उत्पादन से बचने के लिए नालियों में ब्लीचिंग पाउडर का नियमित उपयोग किया जायेगा । • A Closed operation of the process should be practiced effectively .
14	The total fixed cost of the project is estimated as	INR 2591.39lacs

6. अधिसूचना में निहित प्रावधानों के तहत जनसुनवाई अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायसेन की अध्यक्षता मे दिनांक 12.09.2022 को ग्राम पंचायत भवन परिसर ,ग्राम बरला तहसील साँची जिला रायसेन में आयोजन किया गया। लोक सुनवाई में उपस्थित लोगो से प्राप्त सुझाव एवं आपत्ति के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा सभी विन्दुओ पर जवाब प्रस्तुत किया गया।

7. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 611 वीं दिनांक 14.12.2022 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया, उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 12 **से** 21 तक अंकित है।

उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रकरण को राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की बैठक में विचारार्थ रखा गया। प्रकरण में चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

(i) परियोजना स्थल नेशनल हाईवे के नज़दीक स्थित है अतः इकाई के निर्माण तथा मशीनरी के स्थापना हेतु नियमानुसार दूरी का परिपालन सुनिश्चित करे। साथ ही इकाई को प्लाट के पिछले हिस्से में स्थापित करे ताकि नेशनल हाईवे से उसकी दूरी अधिकतम रहे।

(ii) परियोजना में उत्सर्जित खतरनाक अपशिष्टों का प्रबंधन पर विशेष व्यवस्थाओं पर ध्यान रखा जाये। उत्सर्जित खतरनाक अपशिष्ठों का लेखा रखा जाये एवं उनका निष्पादन कैसे हुआ का भी विवरण का रिकार्ड रखें। यह सतत् प्रक्रिया हो जिससे प्रतिदिन संधारित किये जाये एवं उनका विवरण मं.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अर्ध वार्षिक आधार पर भेजा जाये।

(iii) परियोजना में उत्सर्जित अपशिष्ट जैसे Spent HCL, H_2SO_4एवं Bromine को अधिकृत रिसाइकलरों को बेचा जाये।

(iv) खतरनाक रसायनों, गैसों के प्रबंधन पर समुचित ध्यान रखा जाये एवं आपदा से निपटने के लिये समय–समय पर माकड्रिल आयोजित की जाये।

(v) परियोजना में ZLD की शर्त अनिवार्य रूप से अधिरोपित है, परियोजना अंतर्गत उच्च COD वाले जल अपशिष्ट के MEE एवं ATFD द्वारा उपचारित किया जायेगा एवं निष्पादन हेतु

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

भेजा जायेगा। निम्न COD वाले जल अपशिष्ट का उपचार ETP से उपचारित कर पुर्न उपयोग किया जायेगा।

(vi) परियोजना अंतर्गत उत्सर्जित उष्मा का समुचित प्रबंधन कर पुर्नउपयोग किया जाये।

(vii) ईकाई से निकलने वाली दुर्गन्ध के शमन के लिये **Guidelines on Odour Pollution & Its Control, May 2008, Central Pollution Board, Ministry of Environment Govt. of India** के सुझाये उपायों के अनुकुल व्यवस्था की जाये।

a. दुर्गन्ध उत्पन्न करने वाले घटकों को चिहिन्त कर उनके लिये पर्याप्त बफर जोन रखा जाये। ETP के आस पास भूदृश्यीकरण कर उसे सुसज्जित करे साथ ही सुगंध उत्पन्न करने वाले पौधों /झाड़ियों का रोपण इस क्षेत्र में करे।

b. दुर्गन्ध वाले क्षेत्रों की सीमा रेखा पर नोजल स्प्रेयर एवं एटलाइजर का निरंतर छिड़काव की व्यवस्था की जाये।

c. उपाय जैसे मिस्ट फिल्टरेशन, वेट स्क्रबिंग, केमिकल उपचार एवं ग्रीन बेल्ट जैसे अन्य उपायों से दुर्गन्ध शमन पर प्रभावी कदम उढ़ाये जाये।

(viii) परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये गैर पांरपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO_2 उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर लक्ष्य प्राप्ति हेतु सतत् प्रयत्न अनिवार्य रूप से किया जाये।

(ix) सघन हरित क्षेत्र (33% से कम नहीं) साइट के चारों ओर विशेष रूप से प्रमुख हवा की दिशा में विकसित किया जाना चाहिए ।

(x) Effluent को त्रिस्तरीय उपचार प्रणाली तक उपचारित करने के लिए प्रस्तावनानुसार ETP अनिवार्य रूप से नियोजन किया जाये ।

(xi) जन सुनवाई में उठे मुद्दों का निश्चित रूप से परिपालन किया जाना सुनिश्चित करे।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 611वीं दिनांक 07 अक्टूबर 2022 की कार्यवाही विवरण, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों के साथ उपरोक्त बिंदु i से xi एवं परिशिष्ट–3 को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. **प्रकरण क्र 8566/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री पंकज तिवारी आत्मज श्री श्रषि तिवारी, ग्राम बरहिया, पोस्ट–बथिया, तहसील मैहर, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड**

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

विधि), उत्पादन क्षमता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.704 हेक्टेयर, खसरा 7/2/3, 8/1, 9/2, ग्राम रूसा, तहसील मैहर, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 611वी बैठक दिनांक 14.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 611वी बैठक दिनांक 14.12.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) **सतना जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चत किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन, अन्य संबंधित शासकीय विभाग एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं मुख्य रूप से पीएम 10 तथा पीएम 2.5 के नियंत्रण हेतु सभी समुचित कार्यवाही की जाये एवं ऐसे अन्य पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा कलस्टर में सम्मिलित अन्य लीज धारकों के साथ समन्वय एवं सहयोग से परिवहन मार्ग (Haul Road) में संयुक्त रूप से पाईपलाईन बिछाकर धूल के नियंत्रण हेतु नियमित रूप से लगातार पानी का छिड़काव किया जायेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी वादों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

Location Wise Proposed Plantation Details			
Phase	**Location**	**Name of Tree**	**No. of Plants**
1st year	In barrier zone	Karanj, Pipal, Mango, Khamer, Neem, Sissoo, Aanwla, and other local species	1000
2nd year	In barrier zone	Karanj, Pipal, Mango, Khamer, Neem, Sissoo, Aanwla, and other local species	300
1st year to 2nd year	Along the transport route (500m) 2.5m distance with 1m height	Arjun, Khamer, Neem, Gular, Kadamb, Sisoo, Karanj, Pipal, and other local species	400
1st year	For village distribution	Neem, Mango, Guava, Imli, Awala, Bel, Munga, Mahua and other local species	1000
1st year	Plantation near to Sharda Dev Temple	Neem, Mango, Guava, Imli, Awala,, Munga, Mahua Karanj, and other local species	2100
	Total		4800

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा मॉ शारदा देवी मंदिर चारो ओर वन विभाग के परामर्श से 2100 पौधे रोपित किये जाये एवं उनका संरक्षण किया जाये।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल– मृदा संरक्षण योजना वन विभाग के परामर्श से तैयार कर उसका कियान्वयन किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री पंकज तिवारी आत्मज श्री श्रषि तिवारी, ग्राम बरहिया, पोस्ट–बथिया, तहसील मैहर, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.704 हेक्टेयर, खसरा 7/2/3, 8/1, 9/2, ग्राम रूसा, तहसील मैहर, जिला सतना (म.प्र.)। संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल का आदेश क्र. 175–76 दिनांक 04.01.2020 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 03.01.2030 तक मान्य रहेगी।

6. **प्रकरण क्र 9439/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पूजा मिनरल्स, प्रोपराईटर, श्री नरेन्द्र सिहारे, निवासी तिलक वार्ड, सिविल लाईन्स, जिला मंडला (म.प्र.) द्वारा डोलोमाईट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 19177, टन प्रतिवर्ष (डोलोमाईट 16517 व ओवर वर्डन 2660 टन प्रतिवर्ष) रकबा 1.21 हेक्टेयर, खसरा 846/2, 846/3, 847/2, ग्राम मुगदरा, तहसील नैनपुर, जिला मंडला (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 611वी बैठक दिनांक 14.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, को हटाने की योजना बनाई जाये एवं उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना बनाएगा।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये।

VII. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

VIII. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

IX. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XI. एमओईएफसीसी की प्रारूप अधिसूचना दिनांक 18.02.2022 अनुसार जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार करना चाहिए।

XII. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

XIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) कलस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्ययोजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

7. **प्रकरण क्र 9448/2022 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती चंचला जोशी पत्नी श्री कमल जोशी, निवासी 39–ए, सांईनाथ कॉलोनी, तहसील बडवानी, जिला बडवानी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 9700 प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 139/1, ग्राम करी, तहसील बड़वानी, जिला बड़वानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 611वी बैठक दिनांक 14.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के उत्तर दिशा में 100 मीटर पर नहर होना परिलक्षित है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 एवं सीपीसीबी के दिशा निर्देश अनुसार खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है।

चूँकि प्रस्तावित खदान के उत्तर दिशा में 100 मीटर पर नहर होने के कारण उपरोक्त न्यूनतम दूरी के तय मापदण्ड के दृष्टिगत न्यूनतम खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध होना परिलक्षित है। अतः प्राधिकरण द्वारा सर्व सम्मति से प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

8. प्रकरण क्र. 9454/2022 **परियोजना प्रस्तावक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव पत्नी श्री प्रतीक श्रीवास्तव,** निवासी एन.एच. 12 ए, अबिंका **काम्प्लेक्स, भुआ बिछिया, तहसील बिछिया, जिला मंडला (म.प्र.) द्वारा** पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी **मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 30000 प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 47/1, 47/2, 45/1/2, ग्राम हर्राभाट, तहसील बिछिया, जिला मंडला (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 611वी बैठक दिनांक 14.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 611वी बैठक दिनांक 14.12.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चत किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– आवला, खमेर, नीम, चिरोल, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू, पीपल आदि।	600
2	**खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग एवं ग्रामीण मार्ग के दोनों ओर 350 मीटर तक** (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– नीम, पीपल, करंज, चिरोल, बरगद, जंगल जलेबी, पुत्रंजीवा, सिस्सू आदि।	250
3	**ग्राम हर्रभाट के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में**	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– आवला, मुनगा , कदम, पुत्रंजीवा, मोलश्री, आम, कटहल, करंज आदि।	50
4.	**ग्रामीणों में पौधो का वितरण**	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– आवला, आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, अनार, निम्बू, कटहल आदि।	1500
		कुल	2400

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- खदान क्षेत्र के उत्तरपूर्वी दिशा में लगभग 800 मीटर पर स्थित चेक डैम का सौंदर्यीकरण एवं उसके आस पास वृक्षारोपण करके उनकी सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड लगाए जाये ।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियाँ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव पत्नी श्री प्रतीक श्रीवास्तव, निवासी एन.एच. 12 ए, अबिंका काम्प्लेक्स, भुआ बिछिया, तहसील बिछिया, जिला मंडला (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी

(मुजीबुर्रहमान खान) **सदस्य सचिव** | **(अनिल कुमार शर्मा)** **सदस्य** | **(अरूण कुमार भट्ट)** **अध्यक्ष**

मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 30000 प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 47/1, 47/2, 45/1/2, ग्राम हर्राभाट, तहसील बिछिया, जिला मंडला (म.प्र.)। कलेक्टर कार्यालय (खनिज शाखा) जिला मंडला का पत्र क्र. 1280 दिनांक 02.08.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धांतिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 01.08.2032 तक मान्य रहेगी।

9. **प्रकरण क्र. 9377/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री बलराम जाट आत्मज श्री भरतलाल जाट, निवासी मकान न. 101–1, ग्राम पंचेड, जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20000 प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 273/1, ग्राम नौगांवाकला, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 611वी बैठक दिनांक 14.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, को हटाने की योजना बनाई जाये एवं उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना बनाएगा।

VI. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

(मुजीबुर्रहमान खान) **सदस्य सचिव**	(अनिल कुमार शर्मा) **सदस्य**	(अरूण कुमार भट्ट) **अध्यक्ष**

VII. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

VIII. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

X. एमओईएफसीसी की प्रारूप अधिसूचना दिनांक 18.02.2022 अनुसार जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार करना चाहिए।

XI. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

XII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

XIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) कलस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्ययोजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

10. Case No 9363/2022: Prior Environment Clearance for Expansion of Manufacturing of Metallic Stearates & Intermediate Liquid Metal Soaps at Plot No. 2 & 2 - C, Industrial Area 2 & 3, AB Road, Dist. Dewas, MP by M/s Baerlocher India Additives Pvt. Ltd, Shri Akhilesh Kumawat, India Operation Head, Plot No. 2 & 2 - C, Industrial Area 2 & 3, AB Road, Dist. Dewas, MP - 455001, - **ToR**

1. प्रस्तावित परियोजना प्लॉट नंबर 2 और 2 – सी, औद्योगिक क्षेत्र 2 और 3, एबी रोड, जिला देवास, मध्य प्रदेश में **Metallic Stearates & Intermediate Liquid Metal Soaps** के निर्माण के क्षमता विस्तार 65,500 एमटीपीए से 1,38,700 एमटीपीए के लिए पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

2. उक्त प्रकरण को पूर्व मे SEIAA प्रकरण क्रमांक 6497 /2019 मे पूर्व पर्यावरण स्वीकृति (पत्र क्र. 4111–12/SEIAA/20 दिनांक 20-01-20) उत्पादन क्षमता 20000 MT and 3200 MT Per annum for Metallic Stearates and Intermediate Liquid Metal soaps के लिए तथा solid and liquid stabilizers, की उत्पादन क्षमता 61000 MT – 4500 MT के लिए जारी की गई थी।

3. प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 611 वीं दिनांक 14.12.2022 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया, उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 36 **से** 38 तक अंकित है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केवल दो उत्पादों में 65,500 एमटीपीए से 1,38,700 एमटीपीए तक विस्तार का प्रस्तावित किया गया है (Soild Stabilizer from 61,000 MTPA to 1,01,000 (adding 40,000 MTPA) and Liquid Stabilizer from 45,00 MTPA to 14,500 (adding 10,000 MTPA). अन्य उत्पाद यथावत ही रहेंगे।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 611वी बैठक दिनांक 14.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

i. परियोजना प्रस्तावक hazardous मैटेरियल्स के रख रखाव का संबंधित प्राधिकरण के प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार की जाने वाली व्यवस्था का उल्लेख EIA में करे।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों के उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल किया जाना चाहिए ।

iv. ईकाई से निकलने वाली दुर्गन्ध के शमन के लिये Guidelines on Odour Pollution & Its Control, May 2008, Central Pollution Board, Ministry of Environment Govt. of India के सुझाये उपायों के अनुकुल तथा आधुनिकीकरण व्यवस्था का उल्लेख EIA में करे।

v. उद्योग से उत्सर्जित Waste Heat का पुर्नउपयोग किस प्रकार करेंगे उसका विवरण दें।

vi. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये गैर पांरपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाने एवं CO_2 उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर लक्ष्य प्राप्ति हेतु उपायों को रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

11. **प्रकरण क्र. 9404/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री संजय जैन मस्ताना आत्मज श्री कैलाशचन्द्र जैन, पार्टनर, मारूति स्टोन क्रेशर, निवासी वार्ड नं. 04, शिवाजी नगर, सिलवानी, जिला रायसेन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10000 प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 384, ग्राम महुआखेड़ाखुर्द, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 611वी बैठक दिनांक 14.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 611वी बैठक दिनांक 14.12.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) रायसेन **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा संभागीय आयुक्त भोपाल की अध्यक्षता में आयोजित वन समिति की बैठक दिनांक 05.08.2021 मे की गई अनुशंसा परिपालन सुनिश्चत किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चत किया जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, सीताफल, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	201
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	खमेर, चिरोल, करंज, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	100
3	गैर खनन क्षेत्र	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, सीताफल, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	189

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

4	ग्रामवासियो में वितरण हेतु ग्राम पंचायत महुआखेड़ाखुर्द))	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, सीताफल, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल, मूंगा एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	510
		कुल	1000

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :—

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम महुआखेड़ाखुर्द के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आवश्यकतानुसार सामग्री प्रदान की जाये।।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री संजय जैन मस्ताना आत्मज श्री कैलाशचन्द्र जैन, पार्टनर, मारूति स्टोन क्रेशर, निवासी वार्ड नं. 04, शिवाजी नगर, सिलवानी, जिला रायसेन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10000 प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 384, ग्राम महुआखेड़ाखुर्द, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन (म.प्र.)। कलेक्टर कार्यालय (खनिज शाखा) जिला रायसेन का पत्र क्र. 1850 दिनांक 25.02.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धांतिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 24.02.2032 तक मान्य रहेगी।

12. **प्रकरण क्र. 9409/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री सनाउलहक आत्मज श्री सईदुल हक, निवासी तालाब रोड़, फारेस्ट डिपो, रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.) द्वारा फर्शी पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 2400 प्रतिवर्ष, रकबा 1.314 हेक्टेयर, खसरा 209, ग्राम अजायबनगर (सुण्ड), तहसील रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 611वी बैठक दिनांक 14.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा नही की गई है।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

"........प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि गूगल इमेज के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरणीय अभिस्वीकृति (जो डिया से प्राप्त की गई है) की शर्तो के पालन हेतु कोई प्रयास नही किया गया तथा परियोजना प्रस्तावक और उनके पयावरणीय सलाहकार भी इस संबंध में कोई प्रमाणिक जानकारी या छः–माही पालन प्रतिवेदन समिति के सक्षम प्रस्तुत कर सके चूंकि पूर्व में भी यह खदान इन्ही परियोजना प्रस्तावक को आवंटित थी अतः वे इस प्रकरण में डिया से प्राप्त ई.सी. की शर्तो का पालन प्रतिवेदन मय फोटोग्राफ व छःमाही पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करे । अतः समिति ने निर्णय लिया कि इस प्रकरण में उपरोक्त कारणों से पर्यावरणीय अभिस्वीकृति की अनुशंसा किया जाना संभव नही है तथा प्रकरण सिया को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाये"

उपरोक्त निर्णित कार्यवाही के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक DEIAA द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन मय फोटोग्राफ ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड किये जाने तक प्रकरण को डिलिस्ट किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

13. **Case No. – 6727/2020** M/s. Mahakaushal Sugar & Power Ind. Ltd, 149, 151, 165, 168, Village - Bahai, Tehsil - Narsinghpur, Dist. Narsinghpur, MP. Prior Environment Clearance for Expansion of Sugar Industry from 4,500 to 8,000 TCD, at Khasra no. 149, 151, 165, 168, at Village - Bachai, Tehsil - Narsinghpur, Dist. Narsinghpur (MP).EIA Consultant: M/s Team Labs and Consultant, Hyderabad-**delist**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 611वी बैठक दिनांक 14.12.2022 में उक्त प्रकरण में निम्नलिखित अनुशंसा की गई है:

"............ The case was presented by PP Shri Dilshad Zaidi alongwith their consultant M/s Team Labs & Consultant, Hyderabad in the 598th SEAC meeting dated 07/10/22 and PP was asked to submit response on queries/issues raised by the committee during presentation. Since PP has not submitted the response and case is pending for long, same was scheduled in the agenda.

Committee observed that PP's of above cases have not submitted the desired information and case is pending since long. SEIAA vide letter no. 2590 dated 15/12/21 has communicated policy decision taken in their 694th meeting dated 26/11/21 and according to the policy decision taken by SEIAA at point no.08, SEAC should make final recommendations within 30 days for EC/ TOR.

The committee deliberated on the above and was of opinion that if PP's have not submitting desired information even after 30 days of appraisal thus this case may be recommended for delisting and respective case files may be sent to SEIAA for onward necessary action assuming that PP is not interested to continue with the project".

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत 611वीं बैठक दिनांक 14.12.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

14. प्रकरण क्र. 6663/2019 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती कल्पना जैन पत्नी श्री शरद कुमार जैन, निवासी मालवीय गंज, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा डोलामाईट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता **20170** टन प्रतिवर्ष, रकबा 3.92 हेक्टेयर, खसरा 402, 412, 413, ग्राम सलैया, तहसील **बड़वारा, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 612वी बैठक दिनांक 15.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा नही की गई है।

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार *"प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि स्वीकृत आवंटित खनन् क्षेत्र में 10 पेड़ लगे है, जिसें सक्षम प्राधिकारी की अनुमति उपरांत 1 पेड़ को काटा जायेंगा एवं उसके एवज् में 10 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे।* .

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (कम से कम 04 फिट उंचाई तक के पौधों का रोपण) के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्त्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये एवं कटनी जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन के उपरांत प्रकरण मे पर्यावरणीय स्वीकुत हेतु विचार किया जायेगा।

15. **प्रकरण क्र.** 8931/2022 **परियोजना प्रस्तावक श्रीमती कामिनी यादव पत्नी श्री सतीश सिंह यादव, निवासी जे. 1035 दर्पण कालोनी पंचसिला मंदिर के पास ठाटीपुर गिर्द जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20000 प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 1065, ग्राम कुल्होली, तहसील सबलगढ, जिला मुरैना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 612वी बैठक दिनांक 15.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 612वी बैठक दिनांक 15.12.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चत किया जाये।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	सिस्सू , कस्टार आंवला, नीम, बबूल, चिरौल, सिस्सू, बरगद, खमेर, इत्यादि।	1000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	शीशम, नीम, बबूल, खमेर, इत्यादि।	450
3	शासकीय विद्यालय वितरण हेतु	कदम्ब, अमलतास, आंवला, करंज, पुत्रंजीवा, नीम, इत्यादि।	50
4	ग्राम कुलहोली, मुरवाई और इतवा के ग्रामवासीयों में फलदार वृक्षों का वितरण किया जायेगा।	मुनगा, आंवला, आम, कटहल, जामुन इत्यादि।	3300
		कुल	4800

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम इतवा के प्राथमिक विद्यालय में 01 सोलर लाईट (30 वॉट) की स्थापना कराई जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्रीमती कामिनी यादव पत्नी श्री सतीश सिंह यादव, निवासी जे. 1035 दर्पण कालोनी पंचसिला मंदिर के पास ठाटीपुर गिर्द जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20,000 प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 1065, ग्राम कुल्होली, तहसील सबलगढ, जिला मुरैना (म.प्र.)। कलेक्टर कार्यालय (खनिज शाखा) जिला मुरैना का पत्र क्र. 860 दिनांक 13.07.2021 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 12.07.2031 तक मान्य रहेगी।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

16. **प्रकरण क्र. 8852/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्रीकृष्णदास टिकाराम पार्टनर श्री अश्वनी गौतम निवासी बी–6 एसी.सी. कालोनी कटनी जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा बाक्साईट एवं फायर क्ले, खदान उत्पादन क्षमता 14980 प्रतिवर्ष, रकबा 1.04 हेक्टेयर, खसरा 1193,1194,1195 ग्राम नैकिन, तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी(म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 612वी बैठक दिनांक 15.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र पूर्व से खुदी हुई हैं एवं खनन कार्य हेतु ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है। अतः प्रकरण में पूर्व से खुदे हुये खदान क्षेत्र (पिट) में बिना ब्लास्टिंग के उत्खनन कैसे संभव होगा। अतः प्राधिकरण द्वारा सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त संबध में प्रकरण SEAC को पुनः परिक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

17. **प्रकरण क्र. 8650/2021 परियोजना प्रस्तावक सुनील कुमार सिंह आत्मज श्री रामपाल सिंह निवासी ग्राम पचखोरा पोस्ट बैढन** जिला सिंगरौली (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (**ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 27094 घन प्रतिवर्ष, रकबा 1.680 हेक्टेयर, खसरा 1169/1,1180,1186, 1187 ग्राम मारोहर, तहसील माड़ा जिला सिगरौली (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 612वी बैठक दिनांक 15.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.मेल दिनांक 29.12.2022 के माध्यम से पर प्रकरण में SEAC की अनुशंसानुसार खदान क्षेत्र में काटे जाने वाले 20 पेड़ों के एवज में 200 पौधे रोपित कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित जानकारी प्रस्तुत कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य किया जाता है एवं SEAC की 612वी बैठक दिनांक 15.12.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जायें।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में काटे जाने वाले 20 पेड़ों के एवज में क्षतिपूति वृक्षारोपण के तहत रोपित 200 पेड़ों का सरंक्षण किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चत किया जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

Phase	Location	Name of Tree	No. of Plants
1st year	In barrier zone (830m)	Neem, Anola, Bel, Karanj, Khamer, Sissoo, and other local species	850 +150 (alreadyplanted)
3rd to CP	Backfilled area	Neem, Anola, Bel, Karanj, Khamer, Sissoo and other local species	800
1st year to 2nd year	Along the transport route (400m) 2.5m distance with 1m height	Arjun, Khamar, Neem, Gular, Kadamb, Sisoo, Karanj, Pipal and other local species	320
1st year	For village distribution	Neem, Mango, Guava, Awala, Bel, Munga, Mahua and other local species	1650+350 (already distributed on 16.08.2022)

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक सुनील कुमार सिंह आत्मज श्री रामपाल सिंह निवासी ग्राम पचखोरा पोस्ट बैढन जिला सिंगरौली (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 27094 घन प्रतिवर्ष, रकबा 1.680 हेक्टेयर, खसरा 1169/1,1180,1186, 1187 ग्राम मारोहर, तहसील माड़ा जिला सिगरौली (म.प्र.)। कलेक्टर कार्यालय (खनिज शाखा) जिला सिगरौली का पत्र क्र. 2613 दिनांक

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

16.07.2021 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15.07.2031 तक मान्य रहेगी।

18. **प्रकरण क्र. 9460/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री राम सिंह यादव आत्मज श्री नदंर सिंह यादव निवासी पंचकुआ शंकरपुर मक्सी रोड जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 10000 घन प्रतिवर्ष, रकबा 1.40 हेक्टेयर, खसरा 159 ग्राम गुनईखलसा, तहसील व जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 612वी बैठक दिनांक 15.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, को हटाने की योजना बनाई जाये एवं उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय–समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना बनाएगा।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये।

VIII. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

IX. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

X. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वियन योजना के साथ रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XII. एमओईएफसीसी की प्रारूप अधिसूचना दिनांक 18.02.2022 अनुसार जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार करना चाहिए।

XIII. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) कलस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्ययोजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

19. **प्रकरण क्र. 9455/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स व्ही.व्ही.सी.एस. आर.एल. प्रोजेक्ट प्रा. लि. अधिकृत व्यक्ति श्री बृजकिशोर सिंह निवासी ए.बी रोड राघौगढ जिला गुना (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 5000 घन प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 294/1 ग्राम सेमराअंगद, तहसील व जिला सागर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 612वी बैठक दिनांक 15.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत एवं SEAC की 612वी बैठक दिनांक 15.12.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद जीवित वृक्षों को नहीं काटा जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चत किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	सिस्सू, चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	1000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री गार्ड के साथ	100
3	ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	500
4	नॉन माइंनिग जोन	सिस्सू, चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, आवंला, सीताफल, खमेर, बॉस एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री गार्ड के साथ	800
		कुल	2400

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- शासकीय माध्यमिक स्कूल सेमरा आंगद में रंगाई पुताई, फर्नीचर (20 लकडी की बेंच और 2 अलमारी) प्रदान की जाये।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियाँ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स व्ही.व्ही.सी.एस. आर.एल. प्रोजेक्ट प्रा. लि. अधिकृत व्यक्ति श्री बृजकिशोर सिंह निवासी ए.बी रोड राघौगढ जिला गुना (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 5000 घन प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 294/1 ग्राम सेमराअंगद, तहसील व जिला सागर (म.प्र.)। मध्यप्रदेश रोड डवलपमेन्ट कारपोरेशन लि. कार्यालय संभागीय प्रबंधक सागर का पत्र क्र. 704 दिनांक 29.07.2022 एवं संचालनालय भोमिकी तथा खनिकर्म जबलपुर का पत्र क. 3492–94 दिनांक 12.09.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 02 वर्ष (19.07.2022 से 18.07.2024) की असथाई अनुज्ञा जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 18.07.2024 तक मान्य रहेगी।

20. **प्रकरण क्र. 9457/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री सोनू रजक आत्मज श्री रामबाबू रजक निवासी वार्ड न. 08 छिपेटी मोहल्ला तहसील भांडेर जिला दतिया (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 19992 घन प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 273 ग्राम तत‍ारपुर, तहसील भांडेर जिला दतिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 612वी बैठक दिनांक 15.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत एवं SEAC की 612वी बैठक दिनांक 15.12.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से **कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक"** नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चत किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल , नीम , जंगल जलेबी , सीताफल, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	600
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी , एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	300
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलाँ,अमरुद, ग्राफ्टिंग मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1500
		कुल	2400

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- **शासकीय प्राथमिक स्कूल में मरम्मत और पुताई का कार्य किया जायेगाए यह कार्य भू प्रवेश मिलने के पश्चात 1 साल के अंदर यह कार्य किया जायेगा।**

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री सोनू रजक आत्मज श्री रामबाबू रजक निवासी वार्ड न. 08 छिपेटी मोहल्ला तहसील भांडेर जिला दतिया (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 19992 घन प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 273 ग्राम ततारपुर, तहसील भांडेर जिला दतिया (म.प्र.)। कलेक्टर कार्यालय (खनिज शाखा) जिला दतिया का पत्र क्र. 3–6/02 /2022 दिनांक 02.

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

05.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 01.05.2032 तक मान्य रहेगी।

21. **प्रकरण क्र. 9458/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री कथरू दुर्गा राव अधिकृत व्यक्ति, निवासी मोहन टाकीज रोड जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा डोलामाईट खदान उत्पादन क्षमता 104498 टन प्रतिवर्ष, रकबा 5.963 हेक्टेयर, खसरा 44/1, 65/1क, 65/3 ख, ग्राम परिकल्प, तहसील बडवारा जिला कटनी (म. प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 612वी बैठक दिनांक 15.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, को हटाने की योजना बनाई जाये एवं उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना बनाएगा।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये।

VII. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	अध्यक्ष

VIII. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

IX. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XI. एमओईएफसीसी की प्रारूप अधिसूचना दिनांक 18.02.2022 अनुसार जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार करना चाहिए।

XII. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

XIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

22. **प्रकरण क्र 9461/2022 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती आशिया बेगम पत्नी स्व. श्री अब्दुल रज्जाक, निवासी ग्राम मेहंदवानी, तहसील शाहपुरा, जिला डिण्डौरी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 3800 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 0.56 हेक्येटर, खसरा 626/1, ग्राम मेहंदवानी, तहसील शाहपुरा, जिला डिण्डौरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति में संशाधन बावत्।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 612वीं बैठक दिनांक 15.12.2022 में उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति मे संशोधन किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

उक्त प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन का है जिसमे पूर्व में भी आवेदन (प्रकरण क. 9009/22) प्राप्त हुआ था जिसे प्राधिकरण की 746वी बैठक दिनांक 16.09.2022 में कुल रकबा 1.0 हेक्टेयर से कम हाने के कारण Reject किया गया था।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

प्राधिकरण द्वारा सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की उक्त बैठक मे लिये गये निर्णय को यथावत रखते हुये एवं माननीय एनजीटी (PB) के ओ.ए. नम्बर 142/2022 में पारित आदेश दिनांक 07.12.2022 के परिपालन में चूँकि पर्यावरण स्वीकृति DEIAA द्वारा जारी की गई है, अतः पर्यावरण स्वीकृति में संशोधन मान्य नहीं किया जा सकता एवं प्रकरण को Reject किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

23. **Case No 9381/2022** Prior Environment Clearance for Billets and TMT Bar at Khasra No. 124, 125, 129, 130, 141, 235/141, Village - Mendhi, Tehsil - Niwas, Dist. Mandla (MP) by M/s Shri Shakambari Ferrous Pvt. Ltd, Khasra No. 124, 125, 129, 130, 141, 235/141, Village - Mendhi, Tehsil - Niwas, Dist. Mandla, MP – 481661-

1. प्रस्तावित परियोजना खसरा नंबर 124, 125, 129, 130, 141, 235/141, गांव – मेंधी, तहसील – निवास, जिला मंडला (एमपी) में बिलेट्स और टीएमटी बार की क्षेत्र 1.99 हेक्टेयर में 49000 टन प्रति वर्ष क्षमता के लिए पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।

2. यह एक रोलिंग मिल परियोजना है। ईआईए अधिसूचना 2006 एवं संशोधित 2009 के तहत सभी गैर–विषैले माध्यमिक धातुकर्म प्रसंस्करण उद्योग >5000 टन/वार्षिक धातु घटकों का उत्पादन एसएन 3 (ए), बी में पर्यावरण स्वीकृति हेतु कवर किया गया है।

3. डीएफओ के पत्र सं. 1621 दिनांक 10.08.2022 के अनुसार परियोजना स्थल से 10 किलोमीटर के भीतर कोई भी राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव उद्यान स्थित नहीं है।

4. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है:–

S. No.	Particulars	Details
	Nature & Size of the Project	Shri Shakambari Ferrous Pvt. Ltd.Project at Khasra No. 124, 125, 129, 130, 141 & 235/141, Total Area – 2.67 Ha (i.e. 1.99 Ha Site Area and Remaining 0.68 Ha Open Green Area), and Proposed Capacity 49,000 TPA of Billets and TMT Bar,Village- Mendhi, Tehsil –Niwas, District: - Mandla, M.P.
1	Area	Total Area – 2.67 Ha (i.e. 1.99 Ha Site Area and Remaining 0.68 Ha Open Green Area)
2	Geo coordinates	Latitude - 23° 5'32.39"N Longitude - 80°11'41.03"E
3	Production Capacity	Billets and TMT Bar 0.049 MTPA
4	Water Requirement	7.73 KLD Source of Water- Through Water tanker
5	Capital cost of the project	Rs 36 Crores

5. प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 612 वीं दिनांक 15.12.2022 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया, उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 20 से 22 तक अंकित है।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 611वी बैठक दिनांक 14.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

i. परियोजना प्रस्तावक **hazardous** मैटेरियल्स के रख रखाव का संबंधित प्राधिकरण के प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार की जाने वाली व्यवस्था का उल्लेख EIA में करे।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों के उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल किया जाना चाहिए ।

iv. धातुकर्म एवं अन्य उत्पाद निर्माण के दौरान उतपन्न हुई अनुपयोगी ऊष्मा एवं ताप को कैसे प्रबंधित करेंगे ? साथ ही इसके पुर्नउपयोग हेतु क्या प्रस्ताव गई पर विस्तृत विश्लेषण दें ।

v. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये गैर पांरपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाने एवं CO_2 उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर लक्ष्य प्राप्ति हेतु उपायों को रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

vi. परियोजना के आस पास स्थित जलीय निकायों पर परियोजना पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव का विस्तृत अध्यन्न करे ।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

24. **प्रकरण क्र. 9384/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री यज्ञ जाट आत्मज श्री कैलाश जाट निवासी 107/1 तृमूर्ति नगर जिला धार (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 21000 घन प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 958 पैकी ग्राम खरेली, तहसील सरदारपुर जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 612वी बैठक दिनांक 15.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत एवं SEAC की 612वी बैठक दिनांक 15.12.2022 क़ी अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चत किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, सीताफल, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सु आदि।	500
2	परिवहन मार्ग में(न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	350
3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, मुनगा, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, कटहल, आदि	1550
		कुल	**2400**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम खरेली के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में रंग–रोगन और सफाई का काम करवाया जायेगा
- खरेली के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में सीवरेज प्रणाली का निर्माण किया जायेगा

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री यज्ञ जाट आत्मज श्री कैलाश जाट निवासी 107/1 तृमूर्ति नगर जिला धार (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 21000 घन प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 958 पैकी ग्राम खरेली, तहसील सरदारपुर जिला धार (म.प्र.)। कलेक्टर कार्यालय (खनिज शाखा) जिला धार का पत्र क्र. 416 दिनांक 16.03.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15.03.2032 तक मान्य रहेगी।

25. प्रकरण क्र 8817/2021 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती डाली शर्मा पत्नी श्री रमन शर्मा, निवासी, काजल टाकीज के पास फल्का बाजार लश्कर, जिला ग्वालियर (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 21000 घनमीटर प्रतिवर्ष, (SEAC द्वारा अनुसंशित) रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 3921, ग्राम बिलौआ, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 612वी बैठक दिनांक 15.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत एवं SEAC की 612वी बैठक दिनांक 15.12.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जायें।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **जलाशय से न्यूनतम 100 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चत किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, पीपल, करंज, सीताफल चिरोल, जंगल जलेबी, खमेर, सिस्सू आदि।	200
2	परिवहन मार्ग में(न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल, आदि	350
3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, सीताफल,अनार, निम्बू, इमली, कटहल, आदि	650
		कुल	**1200**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्रीमती डाली शर्मा पत्नी श्री रमन शर्मा, निवासी, काजल टाकीज के पास फल्का बाजार लश्कर, जिला ग्वालियर (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 21000 घनमीटर प्रतिवर्ष, (SEAC द्वारा अनुसंशित) रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 3921, ग्राम बिलौआ, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.)। कलेक्टर कार्यालय (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर का आदेश क्र. 24510 दिनांक 11.08.2021 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 10.08.2031 तक मान्य रहेगी।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

B.- अतिरिक्त ऐजेण्डा (अध्यक्ष महोदय की अनुमति से)

26. प्रकरण क्र. 9024/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सीताराम स्टोन, पार्टनर, श्री धर्मेन्द्र दांतरे आत्मज श्री जैय प्रकाश दांतरे निवासी ,बी–11, पुरूषोत्तम विहार, गोला का मंदिर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि),उत्पादन क्षमता 2,28,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.640 हेक्टेयर, खसरा 1126, 1127, 1128/1, 1128/2, 1129, 1130, ग्राम डिरमन, तहसील गोहद, जिला भिंड (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति प्रकरण पर पुर्नविचार बावत्।

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण क्र. 9024/2022 में SEIAA द्वारा प्रदाय की गई पर्यावरण स्वीकृति पर पुर्नविचार हेतु आवेदन के अनुसार माननीय एनजीटी द्वारा ओ.ए. नम्बर 304/2019 में पारित आदेश दिनांक 28.02.2020 के परिपालन में केरला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शिफारिश पर केवल आबादी से 200 मीटर की दूरी प्रतिबंधित की गई है। साथ ही स्वीकृत उत्खनन पट्टे (खदान) हेतु सिआ द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्त अनुसार नहर से 200 मी. तक नो माइनिंग जोन के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा के स्थान पर गौण खनिज अधिनियम के अनुसार पर नहर से न्यूनतम 100 मी. तक" नो माइनिंग जोन" करने हेतु अनुरोध किया गया है।
2. उपरोक्त प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा की **750वी बैठक दिनांक 13.10.2022** में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC **की 580वी बैठक दिनांक 23.06.2022 एवं 591वी बैठक दिनांक 27.08.2022 की गई** अनुशंसा को मान्य करते हुए विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई।
3. SEIAA द्वारा माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 दिनांक 28.02.2020 के परिपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा माननीय एनजीटी को प्रेषित प्रतिवेदन अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय किये गये है जिसके अनुसार राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 20.10.2022 में पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत प्रकरण में निम्नानुसार विशिष्ट शर्त समाहित की गई :–

   (i) *परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले नहर **से न्यूनतम 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।*

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

4. माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 दिनांक 28.02.2020 के परिपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा माननीय एनजीटी को प्रेषित प्रतिवेदन में निम्नानुसार मापदण्ड उल्लेखित है :–

"6.0 Conclusion:

In view of available information, following minimum distance criteria may be considered for permitting stone quarrying by SPCBs:

Mining Type		***Minimum Distance***	***Locations***
A.	***When Blasting is not involved***	***100 m***	Residential/Public buildings, Inhabited sites, Protected monuments, Heritage sites, National / State Highway, District roads, Public roads, Railway line/area, Ropeway or Ropeway trestle or station, Bridges, Dams, Reservoirs, River, Canals, ef' Lakes or Tanks, or any other locations to be considered by States.
B.	***When Blasting is involved***	***200 m *****	

***Note: The regulations for danger zone (500 m) prescribed by Directorate General of Mines Safety also have to be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimise the impact on environment.*

However, if any states is already having stringent criteria than the above for minor mineral mining (i.e. more prescribed distances than

5. इसके उपरांत माननीय एनजीटी द्वारा ओए नंबर 304/2019 में पारित आदेश दिनांक 21.07. 2020 के पैरा –3 में निम्नानुसार मापदण्ड उल्लेखित है :–

"6.0 Conclusion:

In view of available information, following minimum distance criteria may be considered for permitting stone quarrying by SPCBs:

Mining Type		***Minimum Distance***	***Locations***
A.	***When Blasting is not involved***	***100 m***	*Residential/Public buildings, Inhabited sites, locations to be considered by States.*
B.	***When Blasting is involved***	***200 m *****	

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

***Note: The regulations for danger zone (500 m) prescribed by Directorate General of Mines Safety also have to be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimise the impact on environment.*

However, if any states is already having stringent criteria than the above for minor mineral mining (i.e. more prescribed distances than

6. यहां यह उल्लेखनीय है कि **SEIAA** द्वारा माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 दिनांक 21.07.2020 के परिपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा माननीय एनजीटी को प्रेषित प्रतिवेदन अनुसार प्रकरणों में पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत ब्लास्टिंग एवं नॉन ब्लास्टिंग हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

अतः उपरोक्त प्रकरण क्र. 9024/2022 में जारी पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 20.10.2022 में उपरोक्तानुसार माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 21.07.2020 एवं सीपीसीबी के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप क्षेत्र की पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत निहित शर्त क्र. 1 अधिरोपित कर परिपालन किया गया है।

यदि परियोजना प्रस्तावक चाहे तो पर्यावरण स्वीकृति में संशोधन हेतु भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर Amendment of EC (फार्म–4) पर आवेदन किया जा सकता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं विभाग को भी पत्र के माध्यम से सूचित किया जाये।

C.- नीतिगत निर्णय :–

1. **माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल (CZ) के ओ.ए. क्र. 38/2022 में (Ajit Kumar V/s State of Madhya Pradesh & Ors.) जारी आदेश दिनांक 17.10.2022 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 21.11.2022 के परिपालन बावत्।**

   i. प्रमुख सचिव खनिज संसाधन विभाग, म.प्र. शासन की टीप दिनांक 26.12.2022 के माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 13.12.2022, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 21.11.2022 एवं SEIAA द्वारा 757वी बैठक दिनांक 18.11.2022 में सीहोर, देवास, हरदा एवं रायसेन जिलों के संबंध में निर्णित कार्यवाही पर पुर्नविचार करने का अनुरोध किया गया।

   ii. विभागीय निर्देशानुसार प्राधिकरण द्वारा उक्त टीप पर विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श किये जाने हेतु खनिज संसाधन विभाग, म.प्र. शासन के संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म एवं प्रबंध संचालक, म.प्र. खनिज निगम एवं अन्य अधिकारियों के साथ दिनांक 29.12.2022 आमंत्रित कर चर्चा की गई। उक्त बैठक में निम्नानुसार अधिकारी उपस्थित थे :–

      1. श्री आर.के श्रीवास्तव, अपर सचिव, खनिज संसाधन विभाग, संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल एवं प्रभारी म.प्र. राज्य खनिज निगम, भोपाल।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा) सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

2. श्री मुजीबुर्रहमान खान, सदस्य सचिव, SEIAA।
3. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, SEIAA।
4. श्री आशुतोष टेमरे, उप महाप्रबंधक, म.प्र. राज्य खनिज निगम भोपाल।
5. श्री पी.पी. राय, खनिज अधिकारी, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल।
6. श्री महेन्द्र पटेल, सहायक खनिज अधिकारी, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल।
7. श्री आलोक नायक, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, SEIAA।

iii. बैठक के दौरान संचालक महोदय को अवगत कराया गया कि SEIAA द्वारा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की **Sustainable Sand Mining Guideline** 2016 के पृष्ठ क्र. 51 के पैरा–II (d) के परिपालन में प्राधिकरण द्वारा लिये गये नीतिगत निर्णय दिनांक 08.04.2022 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता 05 वर्ष का परिपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु पत्र क्र. 177 दिनांक 13.04.2022 के माध्यम से समस्त जिला कलेक्टर, संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म एवं कार्यपालन संचालक, म.प्र. राज्य खनिज निगम को सूचित किया गया। तदोपरांत शासकीय अधिवक्ता के पत्र दिनांक 28.05.2022 के संदर्भ में पुनः पत्र क्र. 724 दिनांक 06.06.2022 को स्मरण पत्र प्रेषित किये गये।

iv. इसी तारतम्य में SEIAA की बैठक दिनांक 18.11.2022 में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल (CZ) के ओ.ए. क्र. 38/2022 में (Ajit Kumar v/s State of Madhya Pradesh & Ors.) जारी आदेश दिनांक 17.10.2022 के पैरा 47 (ii) अनुसार *"The environment clearance whose terms has expired either on 31.03.2021 & 31.03.2022 stands canceled and Madhya Pradesh State Environmental Impact Assessment Authority is directed to cancel the remaining matters, where the matter is under scrutinization before the authorities concerned and take appropriate decision within 15 days. Till the Final decision is taken by the appropriate authority/ MPSEIAA, no mining activities are permitted in the concerned districts under question where the EC has been expired on the basis of expired ECs".* तदानुसार सीहोर, रायसेन, हरदा एवं देवास जिलों के प्रकरणों को Close निर्णित कर संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, संबंधित जिला कलेक्टर एवं परियोजना प्रस्तावकों को पत्र जारी किये गये।

v. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा SEIAA की 757 वीं बैठक दिनांक 18.11.2022 में **माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल (CZ) के ओ.ए. क्र. 38/2022 में (Ajit Kumar v/s State of Madhya Pradesh & Ors.) जारी आदेश दिनांक 17.10.2022 के पैरा 47 (ii) के अनुसार** जिला देवास, हरदा, रायसेन एवं सीहोर की पर्यावरण स्वीकृतियों के संबंध में निर्णित की गई कार्यवाही को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

स्थगन आदेश दिनांक 21.11.2022 एवं भारत सरकार द्वारा लीज वैधता के संबंध में जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 13.12.2022 के परिपालन में स्थगित किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श हुआ। चर्चा के तारतम्य में अपर सचिव, खनिज संसाधन विभाग एवं संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म ने अवगत कराया कि वह इस विषय पर महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से भी अभिमत प्राप्त कर रहे हैं जो कि SEIAA के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अतः निर्णय लिया गया कि खनिज संसाधन विभाग द्वारा महाधिवक्ता का अभिमत प्रस्तुत करने पर SEIAA द्वारा विचार कर निर्णय लिया जावेगा। तदानुसार खनिज संसाधन विभाग को सूचित किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परिशिष्ट–1

गौण खनिज (रेत खनिज के अतिरिक्त) श्रेणी की विशिष्ट शर्तेः

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारो ओर की जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
3. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
6. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
9. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
10. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
11. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
12. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

14. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

17. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

18. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

खनन के ऐसे प्रकरण जिनमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है में निम्नानुसार शर्तें लागू होंगी :–

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Wave) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा

20. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परिशिष्ट–2

गौण खनिज (रेत खनिज) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
2. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
4. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में वार्षिक रेत पुर्नभरण की पूर्ति निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।
5. परियोजना प्रस्तावक नदी के बेसिन के भीतर किसी भी प्रकार का रैंप स्थापित नहीं करेगा तथा जिस किनारे पर रेत उपलब्ध है उसी किनारे से परिवहन की अनुमति कार्य किया जायेगा।
6. परियोजना प्रस्तावक नदी के जल प्रभाव वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं करेगा एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल नदी के सूखे हिस्से में जहां रेत की उपलब्धता हो वही तक खनन गतिविधिया सीमित की जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबद्धधता अनुसार जलभराव क्षेत्र को गैर–खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा जायेगा।
8. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
9. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
10. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि धारा सूखी है, तो उत्खनन धारा की सबसे कम अबाधित एलिवेशन से आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू-आकृति विज्ञान का एक कार्य है।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
14. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
17. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
20. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
21. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परिशिष्ट–3

1. **Waste water Management:**

(a)PP should maintain zero discharge from the Industry as proposed.

(b)Separation of High & Low COD values effluent for better management of process effluent.

(c)RO treated water will be recycle for the process and High COD effluent generation shall be completely evaporated with help of MEE so as to achieve zero discharge.

(d)There shall be no industrial effluent discharge from the unit.

2. **For Air Pollution:**

(a)PP should ensure air pollution control measures and stack height as proposed in the EIA/ EMP.

(b)The performance of air pollution control system should be regularly monitored and maintained.

(c)PP should ensure regular stack monitoring & ambient air quality monitoring and should be carried out as per the guidelines/norms of MPPCB/CPCB.

(d)In plant control measures for checking fugitive emission from all the vulnerable sources shall be provided. Fugitive emission shall be controlled by providing closed storage, closed handling & conveyance of chemicals/materials, multi cyclone separator/bag filters and water sprinkling system.

(e)Dust suppression system including water sprinkler system/ foaming arrangement shall be provided at loading and unloading areas to control dust emission.

(f) Fugitive emission in the work zone environment, product, raw material storage areas etc. shall be regularly monitored.

(g)Transportation of raw material and finished goods should be carried out in covered trucks.

(h)For control of fugitive emission and VOCs following steps should be followed:-

- Chilled brine circulation system shall be provided and it should be ensured that the solvent recovery efficiency will not be less than 98%.
- Reactor and solvent handling pump shall be provided with mechanical seal to prevent leakage.
- Closed handling system should be provided for chemicals.

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा) सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

- System of leak detection and repair of pump/pipeline should be based on preventive maintenance.
- Solvent shall be taken from underground storage tank to reactor through closed pipeline. Storage tank shall be vented through trap receiver and condenser operated on chilled water.

3. **Hazardous Waste:**

(a) PP should ensure disposal of hazardous waste regularly and there should be no dumping of these materials in the premises/outside.

(b) PP should ensure handling, disposal and management of hazardous waste as per the related prescribed rules.

(c) PP should obtain renewal of authorization regularly from MPPCB for collection storage and disposal of hazardous waste (Management, Handling & Trans Boundary Movement) Rules 2008 and its amendments. Membership of the TSDF should be obtained for hazardous waste disposal.

(d) Hazardous chemicals should be stored in sealed tanks, drums etc. Flame arrestors shall be provided on tanks. To avoid the spillage from processing unit, Industry shall provide fully mechanized filling and packaging operation unit.

(e) PP should provide RCC layer and double layered HDPE lining for primary and secondary leachate collection.

4. PP should ensure installation of photovoltaic cells (solar energy) for lighting in common areas, LED light fixtures and energy efficient equipments.

5. **Green Belt:**

(a) PP should ensure plantation in area of 33% of the total plot area and Plantation in the project area of indigenous local varieties like Neem, Peepal, Kadam, Kachnaar etc.

(b) Every effort should be made to protect the existing trees on the plot.

(c) Green area including thick green-belt shall be developed in the plot area to mitigate the effect of fugitive emissions all around the project area in consultation with the forest department as per the guidelines of CPCB.

6. PP should ensure the implementation of CER activities on regular basis in consultation with the Gram Panchayat of the respective villages & also adopt nearby villages for development of infrastructure in Anganwadi.

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

7. PP should obtain NOC /approval from competent authority for health & safety measure, Onsite & Offsite disaster management, and Risk management plan before commencing the operation of the unit.
8. In the event of failure of any pollution control system adopted by the unit, the unit shall be safely closed down and shall not be restarted until the desired efficiency of the control equipment has been achieved.
9. PP should ensure to conduct regular on site and of site mock drill as per Health and Safety Norms.
10. PP should ensure dismantling of their existing unit area as propsed.
11. PP should ensure disposal of storm water (if any) to linkage with AKVN (DMIC) drainage system.
12. Total quantity of runoff water generated and green belt area should be collected in underground tank & used for process in plant to minimize fresh water requirement.

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष